जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/tpf/07 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 4 दिसम्बर 2020

सुभाष नगर, भीलवाड़ा के तत्कालीन थाना प्रभारी श्री नवनीत व्यास के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सही है या फिर गलत??

भाग-1

प्रदेश में खाकी को दागदार करने वाले ...

पकड़ी दो किलो अफीम, नौ लाख हवाला से लेकर छोड़ा आरोपी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भीलवाड़ा. दस दिन पहले रोडवेज बस स्टैंड पर एक व्यक्ति से दो किलो अफीम पकड़ने और उसे छोड़ने की एवज में सुभाषनगर के थाना प्रभारी नवनीत व्यास समेत तीन पुलिसकर्मियों की ओर से 9 लाख रुपए लेने का मामला सामने आया है। यह राशि जोधपुर में ही एक व्यक्ति को हवाले से दी गई। छोड़े गए व्यक्ति ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को शिकायत की है। शिकायत के बाद डीजीपी ने विजिलेंस को जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत का पत्र सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

जोधपुर के एक व्यक्ति ने डीजीपी को शिकायत की थी कि गत 8 अगस्त को वह चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा गया था। वहां से 2 किलो 100 ग्राम अफीम खरीदी। फिर 9 अगस्त को रोडवेज बस से निम्बाहेड़ा से भीलवाड़ा पहुंचा। यहां बस स्टैण्ड पर पहुंचते ही एक सिपाही बस में चढ़ा और तलाशी लेने लगा। उसके बैग की तलाशी में अफीम बरामद हुई। उसे बस से उतार कर कुछ दूरी पर एक निजी कमरे में बंद कर दिया गया। वह सिपाही थाने से पुलिसकर्मियों को बुलाकर लाया। उसका कहना है कि कमरे में थानाप्रभारी नवनीत व्यास व हरीश नामक पुलिसकर्मी पहुंचे।

- छोड़े गए व्यक्ति ने की डीजीपी और आइजी को शिकायत
- डीजीपी के आदेश पर विजिलेंस ने शुरू की जांच

बेल्ट खोलकर पीटा, शुरू हुई सौदेबाजी

शिकायत में आरोप लगाया कि कमरे में थानाप्रभारी ने पुलिसकर्मी के बेल्ट से उसे पीटा। फिर सौदेबाजी की। 9.20 लाख में सौदा तय हुआ। पुलिसकर्मी हरीश ने हवाले से पैसे मांगे। हरीश ने बाहर जाकर किसी व्यक्ति से जोधपुर बात की। पुलिसकर्मियों ने मण्डोर रोड धानमण्डी पर एक व्यक्ति को भेजा। वहां पकड़े गए व्यक्ति ने दोस्त के जरिए हवाले के 9.20 लाख रुपए उसे दिलवा दिए। शिकायतकर्ता को छोड़ दिया पर अफीम भी नहीं लौटाई।

व्यास का जयपुर हो चुका तबादला

व्यास का गत एक अगस्त को जयपुर के जेडीए थाने में ट्रांसफर हो गया था, लेकिन वे 14 अगस्त को रिलीव हुए। दो दिन पहले ही आनन-फानन में कार्यमुक्त होकर जयपुर चले गए।

लोकेशन-सीसीटीवी जांच के आधार

शिकायतकर्ता ने डीजीपी और आइजी को कहा कि उसकी मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज निकाल कर जांच की जा सकती है। उसे न्याय दिलाया जाए।

सुभाषनगर थानाप्रभारी समेत कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली है। शिकायत पुलिस महानिदेशक को भी की है। डीजीपी ने विजिलेंस को जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यालय से विजिलेंस जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी।
--हवा सिंह घुमरिया, पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज

रुपए लेने का आरोप एसआई-एएसआई समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

चूरू @ पत्रिका. जिले के कोतवाली थाने के तीन पुलिसकर्मियों को एसपी परिस देशमुख ने सोमवार रात तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इन तीनों पुलिसकर्मियों पर एक मामले को रफा-दफा करने के एवज में 90 हजार रुपए लेने का आरोप था।

जानकारी के मुताबिक, तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एस[illegible] परिस देशमुख को शिकायत मि[illegible] थी कि पुलिस ने तीन लोगों [illegible] हिरासत में लिया। इसके बाद गंभी[illegible] धाराओं का हवाला देकर इन्हों[illegible] तीनों को धमकाया और मामले क[illegible] रफा-दफा करने के एवज में उनसे[illegible] 90 हजार रुपए भी ले लिए। पुलिस की गिरफ्त से छूटने के बाद इनमें से एक व्यक्ति ने ही पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख के सामने उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को तुरत प्रभाव से निलंबित कर दिया और विस्तृत जांच सीओ सिटी राहुल यादव को सौंप दी। निलंबित होने वालों में सब इंस्पेक्टर रामप्रताप गोदारा, एएसआई सुमेर सिंह, कांस्टेबल (चालक) नन्दलाल शामिल हैं।

राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19/08/2020 को प्रकाशित खबर से साभार|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा (राज.)

क्रमांकः–प–6–क ( ) भील/अप/20/स्पेशल–02 दिनांकः–21.09.2020

महानिरीक्षक पुलिस,
अजमेर रेंज, अजमेर।

विषयः–परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार चीफ एडिटर नि0 जयपुर के सम्बन्ध में।
प्रसंगः–सीएम हैल्प लाईन की आईडी न0 09200678614528 के संदर्भ मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि श्री ज्ञानेश कुमार चीफ एडिटर नि0 जयपुर का परिवाद प्राप्त होने पर परिवाद में अंकित तथ्यों की तथ्यात्मक रिपोर्ट वृताधिकारी वृत सदर जिला भीलवाडा से प्राप्त की गई।

प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार चीफ एडिटर नि0 जयपुर का परिवाद दिनांक 19.08.2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक " पकडी दो किलो अफीम, नौ लाख हवाला से लेकर छोडा आरोपी " के संबंध में जांच श्री गुमनाराम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विजिलेन्स पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा की जा रही हैं।

अतः रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,

जिला पुलिस अधीक्षक,
भीलवाडा।

जवाब मांगते सवाल?

1. मामले की जांच कर रहे श्री गुमनाराम,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजिलेंस पुलिस मुख्यालय द्वारा की गयी जाँच का निष्कर्ष क्या रहा? क्या जांच अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा बताये गए बिन्दुओं पर जांच की थी?
2. क्या जांच में यह सही पाया गया था कि शिकायतकर्ता ने दो किलो अफीम खरीदी थी?अफीम खरीद की पुष्टि होने पर क्या शिकायतकर्ता और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी?
3. शिकायतकर्ता के अनुसार उसने 9.2 लाख रूपये आरोपी पुलिसकर्मियों को हवाले से कैसे दिए?हवाले में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी अथवा नहीं?
4. नवनीत व्यास और अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा शिकायतकर्ता से जबरदस्ती छिनी गयी 2 किलो 100 ग्राम अफीम आखिर कहाँ गयी?
5. जब नवनीत व्यास का तबादला 01 अगस्त को ही जयपुर कर दिया गया था तो उन्हें 14 अगस्त को रिलीव क्यों किया गया(शिकायतकर्ता के अनुसार यह मामला 08 अगस्त का था) ?
6. इस 9.2 लाख रूपये की बंदरबांट में कौन कौन पुलिसकर्मी शामिल थे?उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?
7. जोधपुर निवासी रमेश पुत्र अर्जुनराम की उक्त शिकायत सही थी या गलत?
8. यदि शिकायत सही थी तो नवनीत व्यास के विरुद्ध आज दिन तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?उन्हें जांच के दौरान निलंबित क्यों नहीं किया गया?वह आज दिन तक जे.डी.ए. में प्रवर्तन अधिकारी के तौर पर कैसे तैनात है?
9. नवनीत व्यास के विरुद्ध आज दिन तक भ्रष्टाचार की कितनी शिकायते विभाग को प्राप्त हुई है?कहीं नवनीत व्यास की गिनती उन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों में तो नहीं है जिन्हें पुलिस विभाग द्वारा जबरन स्वेच्छिक सेवानिवृति दी जानी है?
10. यदि उक्त शिकायत गलत थी तो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के विरुद्ध झूठी शिकायत कर,उसे बदनाम करने के लिए शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?आखिर शिकायतकर्ता का नवनीत व्यास से क्या बैर था,जिसके चलते उसने एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के विरुद्ध झूठी शिकायत कर उसे फ़साने की कोशिश की?शिकायतकर्ता जोधपुर निवासी रमेश पुत्र अर्जुनराम के विरुद्ध कितने आपराधिक मामले दर्ज है?
11. कहीं अन्य जांचो की तरह इस मामले का नतीजा भी दोनों पक्षों के बीच आपसी सुलह हो जाना तो नहीं है?